

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

8/13

अपील नामा० संख्या 02/16

सन् 2016

यउनवानी:- अभिषेक बैरवा पुत्र कंवरलाल बैरवा निवासी इन्द्रधनुष फार्म कुण्डेरा बस स्टेण्ड के पास रणधम्मोर रोड तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सुनीता कुमारी पुत्री कंवर लाल बैरवा निवासी इन्द्रधनुष फार्म कुण्डेरा बस स्टेण्ड के पास रणधम्मोर रोड तहसील सवाईमाधोपुर
2. तहसीलदार (भू०अभिलेख) तहसील बाँली

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बाँली द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 173 दिनांक 11.6.2015 वाके ग्राम बोरदा तहसील बाँली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री कुंज विहारी शर्मा  
2. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल

वकील अपीलान्त  
वकील रेसपो 1 लगायत 3  
दिनांक 11.2.2017

:- निर्णय :-

अपील अपीलान्त ने तहसीलदार बाँली द्वारा दर्ज फैसल, नामा० संख्या 173 दिनांक 11.6.2015 वाके ग्राम बोरदा तहसील बाँली, जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज करमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलबी किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अपीलान्त एवं रेसपोडेंट संख्या 1 सगे भाई बहिन है। अपीलान्त की माता मृतका श्रीमति कमलेश राजरानी रेसपो.संख्या 1 एवं अनिल, अनिता,अभिषेक एवं अल्का की माता है। यह कथन भी किया अपीलान्त अपने बिजनेस के सिलसिले से उनके बार सवाईमाधोपुर से बाहर रहता है एवं अनिल और अल्का भी राजकीय सेवा मे होने के कारण सवाई माधोपुर से बाहर रहते है। अपीलान्त की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रेसपो. संख्या 1 ने अपने पिता एवं अपनी छोटी बहिन से मिलकर एक फर्जी वसीयत अपने पक्ष में उन आराजी की बनायी है जो अपीलान्त के दादा अर्थात कंवरलाल के पिता का सम्पत्ति है जो कि टोंक मे स्थित थी को बेचकर रेसपो. संख्या एक ने स्वर्गीय श्रीमति कमलेश राजरानी अपीलान्त की (माता) के नाम खरीदी है उस सम्पत्ति की फर्जी वसीयत रेसपो. संख्या एक ने अपने पिता एवं सहयोगियों के साथ मिलकर बनायी जिसको निरस्त करवाने हेतु दीवानो बाद न्यायालय में लम्बित है अपीलान्त ने उक्त वाद लम्बित होने की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक रेसपो. संख्या 2 तहसीलदार बाँली को दिनांक 23.4.2015 को प्रेषित कर दी थी परन्तु फिर भी दिनांक 11.6.2015 को आदेश जैर नामा० तस्दीक कर दिया जिसके विरुद्ध श्रीमान के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। यह कथन भी किया कि नामा० खोलने से पूर्व सर्वप्रथम कब्जा देखा जाता है मृतक खातेदार के वारिसान के हक में नामा० खोलते समय मौके पर जाकर सभी वारिसान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी वसीयत के आधार पर नामा० खोलने से पहले वसीयत का सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था किन्तु इस तथ्य को नजर अन्दाज कर गलत प्रकार से नामा० खोला गया है और उसे तस्दीक किया गया है जोकि अधीनस्थ न्यायालय की अहम भूल है। यह कथन भी किया कि वसीयत गृहिता मृतक की जायज संतान होना बताया है, तब वसीयत करने की क्या आवश्यकता पडी है स्वतः ही नामा० वारिसान के पक्ष मे भरा जाना चाहिए किन्तु वसीयत को आधार बनाने का अर्थ है कि शेष वारिसान का हक प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये बिना नामा० भरना विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने से नामा. निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि दिनांक 11.6.2015 को पटवारी हल्का ने नामा० भरकर पेश किया जिस पर बिना सुनवायी का अवसर दिये एवं बिना जाँच के दिनांक 11.6.2015 को नामा० स्वीकार कर लिया जबकि अपीलान्त ने पूर्व में अपनी आपत्ति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी थी ऐसी स्थिति में नामा० भरकर स्वीकार करना स्पष्ट करता है कि नामा० विधि के प्रावधानों के विपरीत भरा गया है। यह कथन भी किया कि यदि अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्त यह स्पष्ट रूप से साबित कर देता कि वसीयत फर्जी है क्योंकि मृतका श्रीमति कमलेश राजरानी ने पूर्व में एक दावा न्यायालय में पेश किया था जिसमे मृतका के अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार गोयल एवं आबिद अली थे मृतका द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर में प्रस्तुत किये गये दावों में जो हस्ताक्षर किये है और विवादित वसीयत मे जो हस्ताक्षर किये है वह बिलकुल अलग-अलग है यहाँ तक की मृतका का पूरा नाम वसीयत में अंकित है परन्तु हस्ताक्षर मे आधा नाम ही दर्ज है जो कि कूटरचित हस्ताक्षर बनाये जाये है जोकि दस्तावेजों से बखूबी साबित है इस प्रकार फर्जी वसीयत को खारिज करवाने बाबत

के.सी. श्रीमाम वसीयत में अंकित है परन्तु हस्ताक्षर मे आधा नाम ही दर्ज है जो कि कूटरचित हस्ताक्षर बनाये जाये है जोकि दस्तावेजों से बखूबी साबित है इस प्रकार फर्जी वसीयत को खारिज करवाने बाबत

जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर


12/2

वादा प्रस्तुत करने के पश्चात गुप्त रूप से नामा० खोला गया है जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 8.12.2015 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय लिमिटेड एक्ट दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद मानते हुए अदालत मातहत द्वारा तथ्यों के विपरीत विधि विरुद्ध पारित किया गया आदेश जैर नामा० संख्या 173 दिनांक 11.6.2015 को खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पो. ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधिरुम्मत है क्योंकि विवादित नामा० श्रीमति कमलेश राजरानी द्वारा अपनी आराजीयात का रेस्पो० के पक्ष में दिनांक 15.2.2013 को किये गये रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। यह कथन भी किया कि जहाँ तक रजिस्टर्ड वसीयत को खारिज करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा दायर किये गये वाद का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को दिनांक 13.1.2016 को खारिज कर दिया है तथा वसीयत फर्जी होने अथवा सही होने का निर्णय सिविल न्यायालय में जैरकार वाद में होना अभी शेष है। ऐसी स्थिति में उक्त संबंध में सिविल न्यायालय में वाद जैरकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा० विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो० द्वारा निवेदन किया है।

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित नामा० संख्या 173 दिनांक 11.6.2015 रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15.2.2013 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त वसीयतनामा को निरस्त करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वाद दर्ज करवाया है जो वर्तमान में जैरकार है। चूंकि आदेश जैर नामा० रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दर्ज फैसल किया है तथा उक्त नामा० से संबंधित वसीयत को खारिज करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय सिविल न्यायालय में जैरकार है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील न्याय संगत प्रतीत होता है एवं उक्त वसीयत सही अथवा गलत होने संबंधी तथ्यों की पुष्टि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उनके यहाँ जैरकार वाद में तय की जानी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है किन्तु न्यायहित में माननीय सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के निर्णय होने तक विवादित नामा० से संबंधित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत रेस्पो. को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
( के०सी०वर्मा )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर